Order Sheet [Contd] Case No 267/2017 बी.ए

	Case No 267/	2017 qi.y
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
EN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	24.07.2017 आवेदक / अभियुक्त आकाश की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एस. यादव द्वारा शीघ्र सुनवाई आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक की ओर से जमानत आवेदनपत्र पेश किया जाना है, प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिये जाने बाबत् निवेदन किया। विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण आज दिनांक को सुनवाई में लिया गया। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आवेदक / अभियुक्त आकाश की ओर से श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता द्वारा ओवेदक की जमानत जप्त होने के बाद प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक पूर्व से प्रकरण में जमानत पर था, किन्तु आरोपी थाना चिनोर के अप०क० ०९–17 में जेल में बंद होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता था और इस संबंध में सूचना अपने अभिभाषक को भी नहीं दे पाया था और अनुपस्थित होने के कारण उसके जमानत मुचलके जप्त किये गए है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक /अभियुक्त को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने एप जनमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण के अबलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक / अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय में यह व्यक्त किया था की उन्हें आरोपी की कोई सूचना प्राप्त नहीं ने न्यायालय में यह व्यक्त किया था कि उन्हें आरोपी की कोई सूचना प्राप्त नहीं ने न्यायालय में यह व्यक्त किया था कि उन्हें आरोपी की कोई सूचना प्राप्त नहीं ने न्यायालय में यह व्यक्त किया था कि उन्हें आरोपी की कोई सूचना प्राप्त नहीं	

है। आवेदक / अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण दिनांक 04.11.2016 से दिनांक 21.05.2017 तक लगभग 6-7 माह लंबित रहा है। प्रकरण में अन्य आरोपी अभिरक्षा में है, जिससे विचारण वाधित हुआ है। बीच की अवधि में किसी भी दिनांक में आवेदक / अभियुक्त की ओर से इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त आकाश किसी अन्य प्रकरण में जेल में निरूद्ध है और उसे प्रोडेक्शन वारंट से तलब किया जाए। दिनांक 21.05. 2017 को पहली बार आवेदक / अभियुक्त प्रोडेक्शन वारंट से तलब किया गया है। आवेदक / अभियुक्त का अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल होना दर्शाया गया है। यदि आवेदक / अभियुक्त को पुनः जमानत पर मुक्त किया तो प्रकरण की प्रगति वाधित हो सकती है।

अतः प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त आकाश को पुनः प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त आकाश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 26.07.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

